अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म0प्र0)

कमाकं/एस.सी.एस.टी.सेल/2025–26/50 दिनांकः 25.06.2025

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, भोपाल के पत्र क0/शिक्षा–1/2024–25/2076 एवं पत्र कमांकः शिक्षा–1/2025–26/2078 भोपाल, दिनांक 19.06.2025 एवं सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, सागर के पत्र कमांक/पीएमएस/आ0वि0/2025–26/434 दिनांक 24.06.2025 अनुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार **अनुसूचित जाति वर्ग** के विद्यार्थियों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन(OTR) किये जाने के संबंध में जनजातीय कार्य विभाग के संलग्न पत्र दिनांक 12.06.025 में दर्शाई प्रक्रिया अनुसार MPTAAS पोर्टल पर विद्यार्थी की प्रोफाइल में अद्यतन कराना सुनिश्चित करावें । संलग्न पत्र अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2025–26 के अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति तथा आवास सहायता के नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन प्राप्त करने हेतु तथा उक्त आवेदनों का एड्मिशन एवं फीस डाटा जोड़े जाने हेतु MPTAAS पोर्टल दिनांक 21.06.2025 से खोला जा रहा है, साथ ही परीक्षा परिणाम पोर्टल पर अपडेट कराने हेतु सूचित किया गया है ।

कृप्या संलग्न पत्र अनुसार जानकारी से संबंधित वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित करने का कष्ट करें ।

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,डॉ0हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,सागर (म.प्र.)–कृप्या संबंधित वर्ग के छात्र–छात्राओं को उक्त संबंध में सूचित करने का कष्ट करें ।
2. संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पटल द्वारा–संबंधित छात्र–छात्राओं के सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियॉ–सूचनार्थ प्रेषित ।
4. कुलसचिवजी के निज सहायक–सूचनार्थ प्रेषित ।
5. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, (कार्यालय कलेक्टर) जिला– सागर (म.प्र.)– सूचनार्थ प्रेषित ।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेवसाइट सेल–कृप्या विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

25/6/25

(डॉ0 उतसव आनंद)
प्रोफेसर इंचार्ज
अनु0जाति/अनु0जनजाति प्रकोष्ठ

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास
राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स,भोपाल, म.प्र.
E-Mail : cscd.bhopal@mp.gov.in

क्रमांक/शिक्षा-1/2024-25/ 2076 भोपाल दिनांक 19/6/25

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,

मध्यप्रदेश

विषयः-भारत सरकार के निर्देश अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) किये जाने के संबंध में ।

--00--

निदेशक, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक K-11017/1/2022-SCD-V, दिनांक 29 मई 2025 के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के हेतु शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों हेतु निर्देश जारी किये गए हैं जिसमें छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराया जाने के निर्देश हैं।

उक्त के संबंध में लेख है कि अनुसूचित जाति केंद्र प्रवर्तित प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराया जाने के संबंध में जनजातीय कार्य विभाग के संलग्न पत्र क्रमांक/पीएमएस/194/2025/11645, दिनांक 12.06.2025 द्वारा में दर्शाई प्रक्रिया अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों का भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराकर, MPTAASC पोर्टल पर विद्यार्थी की प्रोफाइल में अद्यतन कराना सुनिश्चित करावें ताकि समयावधि में छात्रवृत्ति भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शिक्षा-1/2025-26/ 2077 भोपाल दिनांक 19/6/25

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल।

54

प्रभारी / Incharge
एस.सी./एस.टी.सेल / SC/ST Cell
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
Doctor Hari Singh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।

5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।

6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।

7. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश की ओर समय सीमा में कार्यवाही कराये जाने हेतु।

8. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश की ओर समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु।

आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास

राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स,भोपाल, म.प्र.

E-Mail : cscd.bhopal@mp.gov.in

क्रमांक/शिक्षा-1/2025-26/ 2078 भोपाल दिनांक 19/06/25

प्रति,

1	**आयुक्त,** उच्च शिक्षा, भोपाल	2	**आयुक्त** , आयुष, भोपाल
3	**आयुक्त ,** लोकशिक्षण, भोपाल	4	**संचालक,** तकनीकी शिक्षा, भोपाल
5	**संचालक** , चिकित्सा शिक्षा, भोपाल	6	**संचालक** , पेरामेडिकल विभाग, भोपाल
7	**रजिस्ट्रार** , नर्सिंग कांउनसिल, भोपाल	8	**सचिव/कार्यपालन अधिकारी** AFRC, भोपाल
9	**सचिव/कार्यपालन अधिकारी** PURC, भोपाल	10	**प्रबंध संचालक ,** एम.पी. ऑनलाइन, भोपाल
11	**संचालक ,** कौशल विकास संचालनालय, भोपाल	12	**संचालक** , कृषि एवं किसान कल्याण, भोपाल
13	**संचालक**, पशुपालन विभाग, भोपाल	14	**मुख्य कार्यपालन अधिकारी** , क्रिस्प , भोपाल
15	**संचालक** , संस्कृति विभाग, पालभो	16	**नोडल अधिकारी,** समस्त राष्ट्रीय स्तर संस्थाएं

विषयः- अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के पालन विषयक ।

संदर्भः- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1627, दिनांक 05.06.2025

विषयांतर्गत लेख है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के अनुसूचित जाति प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा आवास सहायता योजना के नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन प्राप्त करने हेतु तथा उक्त आवेदनों का एड्मिशन एवं फीस डाटा जोड़े जाने हेतु MPTAASC पोर्टल दिनांक 21.06.2025 से खोला जा रहा है । कृपया अपने विभाग से संबंधित संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों का एडमीशन डाटा, फीस डाटा एवं परिक्षा परिणाम पोर्टल पर अपडेट कराने का कष्ट करें ताकि समयावधि में छात्रवृत्ति भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके।

2. संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु जारी निर्देश अनुसार समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के Head of Institute (HOI) एवं Institute Nodal Office (INO) का Biometric Authentication अनिवार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । अतः सभी शैक्षणिक संस्थाओं के Head of Institute (HOI) एवं Institute Nodal Office (INO) के Biometric Authentication (eKyc) पोर्टल पर दिनांक 31 जुलाई 2025 तक कराये जाना सुनिश्चित करावें।

प्रभारी/Incharge
एस.सी./एस.टी.सेल/SC/ST Cell
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,सागर (म.प्र.)
Doctor Hari Singh Gour Vishwavidyalaya,Sagar (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

3. संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु जारी निर्देश अनुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन हेतु भारत सरकार के NSP पोर्टल पर One Time Registration (OTR) कराया जाना अथवा Biometric Authentication में से कोई एक अनिवार्य किया गया है। अतः शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के आवेदनों हेतु जनजातीय कार्य विभाग में प्रचलित व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्ति हेतु पात्र सभी विद्यार्थियों का भारत सरकार के NSP पोर्टल पर One Time Registration (OTR) ही अनिवार्यतः कराया जाए एवं MPTAASC पोर्टल पर विद्यार्थी के प्रोफाइल में अद्यतन कराएं।

आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) सागर (म0प्र0)

क्र0 /पीएमएस/आ0वि0/2025-26/434 सागर दिनांक 24/6/2025

प्रति,

रजिस्टार/ प्राचार्य

शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय ......सागर......जिला सागर

विषय— भारत सरकार के निर्देश अनुसार अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) किये जाने के संबंध में।

संदर्भ— आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, भोपाल का पत्र कमांक 2076 दिनांक 19—06—25

=0=

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयुक्त अनुसूचित जाति विकास से कक्षा 9वीं से महाविद्यालय शिक्षा अंतर्गत अध्ययनरत SC के छात्रों हेतु NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन/OTR कराना अनिवार्य है। तदाशय के अनुकम में संलग्न पत्र अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करे।

सहायक आयुक्त 24/6/25

जनजातीय कार्य विभाग सागर

सागर दिनांक 24/6/2025

पृ.क. / पीएमएस/आ.वि. 2025—26/434

प्रतिलिपिः—

1 आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।

2 आयुक्त सागर सम्भाग सागर।

3 कलेक्टर जिला सागर।

4 सम्भीय उपायुक्त जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, सागर सम्भाग सागर।

All Deans And All HoDs

25/6/25

प्रभारी/Incharge

एस.सी./एस.टी.सेल/SC/ST Cell

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

Doctor Hari Singh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.)

सहायक आयुक्त 24/6/25

जनजातीय कार्य विभाग सागर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश

Email: scholarship[illegible]gov.in

क्र. सीएमएस./114/2025 11645 भोपाल, दिनांक 19/6/25

प्रति,

कलेक्टर,

समस्त मध्यप्रदेश

विषय - भारत सरकार के निर्देश अनुसार जनजातीय विद्यार्थियों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) किये जाने के संबंध में।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी जिन्हें केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वार्षिक पारिवारिक आय-सीमा राशि रूपये 2.50 लाख से कम) का लाभ प्राप्त होता है उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य है। विद्यार्थियों द्वारा एक बार OTR नबंर प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात् भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा जिसके लिये पृथक से पुन: OTR की आवश्यकता नहीं होगी।

कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा OTR नबंर प्राप्त करने की प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी (जिसकी प्रक्रिया संलग्न है)। प्रथम चरण में विद्यार्थी को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट से अथवा मोबाइल पर NSP OTR मोबाइल एप डाउनलोड कर उसमें आवश्यक जानकारी दी जाकर रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा, द्वितीय चरण में NSP OTR App एवं AadharFaceRD services App डाउनलोड कर रेफरेंस नंबर के माध्यम से OTR की प्रक्रिया पूर्ण कर OTR नंबर का प्राप्त करना होगा। MPTAASC पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते समय OTR नंबर दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त कार्यवाही एक माह की समय-सीमा में पूर्ण की जानी है। विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुये जिलों में समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं -

1. समस्त हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्यो, महाविद्यालयों के प्राचार्यों और छात्रावास अधीक्षकों की पृथक-पृथक बैठक आयोजित कर OTR प्रक्रिया की जानकारी दी जाए जिससे विद्यार्थियों को इस प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त हो सके।
2. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के OTR कराये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। प्रत्येक स्कूल से दो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए जिनके द्वारा विद्यार्थियों को OTR हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।
3. प्रत्येक हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में कक्षावार प्रवेशित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी और उनके OTR नंबर की सूची संधारित की जाएगी जिससे छात्रवृत्ति का आवेदन करते समय OTR प्राप्त करने की समस्या नहीं हो।
4. विभागीय छात्रावासों में प्रवेशित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के OTR कराये जाने का उत्तरदायित्व छात्रावास अधीक्षक का होगा। छात्रावास अधीक्षक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रोफाइल पंजीयन के साथ-साथ उनका OTR नंबर भी प्रवेश पंजी में संधारित करेंगे।

All HoDs and Deans

9542
23/6/2025

प्रभारी / Incharge
एस.सी./एस.टी.सेल / SC/ST Cell
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
Doctor Hari Singh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

5. OTR हेतु विद्यार्थी का आधार नंबर, उसके आधार से लिंक मोबाइल नंबर जिस पर OTP प्राप्त होगा और उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना (NPCI active) अनिवार्य है। यह जानकारी विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को पूर्व से दी जाए जिससे OTR के समय उन्हें अनावश्यक समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
6. जिले में कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक प्रवेशित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या के मान से OTR की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक समय-सीमा बैठक में की जाए।
7. पत्र के साथ संलग्न OTR प्रक्रिया की प्रतियां प्रत्येक शिक्षण संस्थान एवं छात्रावासों में वितरित की जाएं एवं सूचना पटल पर भी चस्पा की जाए।
8. प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से OTR के संबंध में विद्यार्थियों एवं पालकों को जागरूक करने की कार्यवाही जिले में की जाए।

कृपया कक्षा 9वीं एवं उससे ऊपर के जनजातीय वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी का OTR 30 जुलाई 2025 से पूर्व कराने का कष्ट करें जिससे छात्रवृत्ति योजनाओं में उन्हें लाभान्वित किया जा सके।

संलग्न:- OTR की संक्षिप्त प्रक्रिया तथा
भारत सरकार द्वारा जारी यूजर मैन्यूअल।

11/06/25

(श्रीमन् शुक्ला)
आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक/पीएमएस./195/2025/ 11646 भोपाल, दिनांक 12/6/25

प्रतिलिपि -
1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. समस्त संभागीय, आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय, उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner